

मृत्युदंड प्रणाली में सुधार

प्रलिस के लयः

मृत्युदंड से संबंघतः महत्त्वपूर्ण मामले, मृत्युदंड के प्रावधान, अनुच्छेद-21

मेन्स के लयः

न्यायपालका, सरकारी नीतयः और हस्तक्षेप, नीतयः के नरमाण और कार्यानवयन से उत्पन्न मुद्दे, मृत्युदंड तथा इससे संबंघतः तरक ।

चर्चा में क्यः?

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय** (SC) की एक बेंच **मृत्युदंड** से संबंघतः प्रक्रयःओं की व्यापक जाँच करने हेतु सहमत हुई है, ताकयःह सुनश्चितः कयः जा सके कःजनि न्यायाधीशः को आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सज़ा के बीच चयन करना है, उनके पास मामले से संबंघतः व्यापक सूचना उपलब्ध हो ।

- इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की सज़ा के मामलों में उपलब्ध सूचनाओं के न्यून आकलन की प्रक्रयः को लेकर चर्चा जताई थी ।
- न्यायालय उन प्रक्रयःओं में सुधार करने की कवायद कर रही है, जसके द्वारा मौत की सज़ा के मामले में आवश्यक जानकारी अदालतों के सामने लाई जाती है । ऐसा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय मृत्युदंड की प्रक्रयः में मौजूद चर्चाओं को स्वीकार कर रहा है ।
 - जबकःमृत्युदंड की सज़ा को संवैधानकः माना गया है, कतः कई बार इसकी प्रक्रयः को अनुचित और मनमाने ढंग से लागू करने के आरोप लगाए जाते हैं ।

मृत्युदंड का अर्थः

- मौत की सज़ा, जससे मृत्युदंड भी कहा जाता है, कसःी अपराधी को उसके आपराधिक कृत्य के लयः अदालत द्वारा मलःने वाला सर्वोच्च दंड है ।
- आमतौर पर यह सज़ा हत्या, बलात्कार, देशद्रोह आदः अत्यंत गंभीर मामलों में दी जाती है ।
- मृत्युदंड को सबसे खराब अपराधों के लयः सबसे उपयुक्त सज़ा एवं प्रभावी नवारक के रूप में देखा जाता है ।
- हालाँकः इसका वरिध करने वाले इसे अमानवीय मानते हैं । इस प्रकार मौत की सज़ा की नैतिकता बहस का वषय है और दुनिया भर में कःई मानवाधिकारवादी व समाजवादी लंबे समय से मौत की सज़ा को खतम करने की मांग कर रहे हैं ।

आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सज़ा के बीच चयनः

- मई 1980 में जब सर्वोच्च न्यायालय ने बचन सहः वाद में मौत की सज़ा की संवैधानकः वैधता को बरकरार रखा था, तो भवष्य के मामलों के लयः इस संबंध में एक फरेमवर्क वकसःतः कयः गया था ।
- इस फरेमवर्क के केंद्र में यह धारणा थी कःआपराधिक प्रक्रयः संहतः में वधायकः ने यह स्पष्ट कर दयः था कःआजीवन कारावास डफॉल्ट सज़ा होगी और न्यायाधीश एक वरिध उपकरण के तौर पर मृत्युदंड के प्रावधान का उपयोग करेंगे ।
- वर्ष 1980 में स्थापतः इस फरेमवर्क- जसः लोकप्रयः रूप से 'दुर्लभ से दुर्लभ' फरेमवर्क के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मृत्युदंड की सज़ा का नरधारण करते समय गंभीर एवं शमन दोनों कारकों पर वचार करना चाहयः ।
- नरिणय ने यह भी स्पष्ट कःमृत्युदंड देने से पहले न्यायाधीशों को चाहयः की वे व्यक्तः की आजीवन कारावास की सज़ा को 'नरःवाःद रूप से' समाप्त करें ।
 - यह उन कारकों की एक सांकेतिक सूची थी, जनकी उपस्थतः नरिणय के प्रासंगकः होने हेतु आवश्यक थी, कतः यह स्पष्ट था यह सूची पूर्णतः वसःतृत नहीं थी ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने बचन सहः वाद में प्रस्तुत फरेमवर्क में मौजूद वसःगतःपर बार-बार चर्चा ज़ाहरः की है । भारतीय वधिःआयोग (262वीं रपःर्ट) ने भी इसी तरह की चर्चा व्यक्तः की है ।

मृत्युदंड के मामलों में लघुकरणः

- किसी भी आपराधिक मुकदमे में दो चरण होते हैं- **अपराध चरण और सज़ा देने का चरण** ।
 - अभियुक्त को अपराध का दोषी पाए जाने के बाद सज़ा सुनाई जाती है; यह वह चरण है जहाँ सज़ा निर्धारित की जाती है। इसलिये सज़ा सुनाए जाने के दौरान प्रस्तुत या कही गई किसी भी बात का उपयोग अपराध के नषिकर्ष को उलटने या बदलने के लिये नहीं किया जा सकता है।
- यह आपराधिक कानून का एक मौलिक सिद्धांत है कि सज़ा देने का कार्य वैयक्तिक रूप से किया जाना चाहिये, यानी सज़ा निर्धारित करने की प्रक्रिया में न्यायाधीश को अभियुक्त की व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिये।
- लघुकरण, जिसे "लघुकरण कारक" या "लघुकरण साक्ष्य" के रूप में भी जाना जाता है, वह साक्ष्य (सूचना) है जिससे बचाव पक्ष द्वारा सज़ा दिये जाने के चरण में (उन मामलों में जहाँ मृत्युदंड दिया जा सकता है) प्रस्तुत किया जा सकता है, इस संदर्भ में कारण प्रस्तुत किये जाते हैं कि अभियुक्त को मृत्युदंड क्यों नहीं दिया जाना चाहिये।
- इन्हें एकत्र करने का कार्य कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिये वकीलों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये, यही कारण है कि मृत्युदंड की सज़ा के बचाव हेतु नियुक्त वकील और उसके कार्यों के लिये अमेरिकन बार एसोसिएशन के 2003 दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिका के साथ एक शमन विशेषज्ञ को मान्यता प्रदान करते हैं जो वकीलों द्वारा किये गये बचाव कार्यों से अलग है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सांता सहि (1976) और मोहम्मद मन्नान (2019) के निर्णयों में इस तरह के अभ्यास की अंतःवैषयिक प्रकृति को मान्यता दी गई है तथा इस प्रकार की जानकारी एकत्र करने हेतु वकीलों के अलावा अन्य पेशेवरों की आवश्यकता होती है।

भारतीय संदर्भ में मृत्युदंड की स्थिति:

- 1955 के **आपराधिक प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम** (Cr PC) से पहले भारत में मृत्युदंड नियम और आजीवन कारावास एक अपवाद था।
 - इसके अलावा न्यायालय मृत्युदंड के स्थान पर हल्का दंड देने हेतु स्पष्टीकरण देने को बाध्य था।
- वर्ष 1955 के संशोधन के बाद न्यायालय मृत्युदंड या आजीवन कारावास देने के लिये स्वतंत्र था।
 - सीआरपीसी, 1973 की धारा 354 (3) के अनुसार, न्यायालयों को अधिकतम दंड देने हेतु लिखित में कारण बताना आवश्यक है।
 - वर्तमान में स्थिति इसके विपरीत है जिसमें गंभीर अपराध के लिये आजीवन कारावास की सज़ा एक नियम है और मृत्युदंड की सज़ा एक अपवाद।
 - इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मृत्युदंड के खिलाफ वैश्विक रोक के बावजूद भारत में मृत्युदंड की सज़ा बरकरार है।
 - भारत का दृष्टिकोण है कि निर्दयी, जान-बूझकर और नृशंस हत्या के दोषी अपराधियों को कम सज़ा देने से इस कानून की प्रभावशीलता कम हो जाएगी जिसका परिणाम न्याय का उपहास होगा।
- इस संदर्भ में वर्ष 1967 की विधि आयोग की 35वीं रिपोर्ट में मृत्युदंड को समाप्त करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था।
- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 720 लोगों को फाँसी हुई है जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौत की सज़ा पाने वाले लोगों का एक छोटा सा अंश है।
 - अधिकांश मामलों में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था और कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा बरी कर दिया गया था।

आगे की राह

- एक ऐसी प्रणाली, जिससे व्यक्ति मृत्युदंड के अनुभव से गुजरता है और अंततः कानूनी प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है, में अत्यधिक उच्च स्तर की नषिकर्षता होनी चाहिये। नषिकर्षता को प्रारंभिक बटु मानते हुए आपराधिक न्याय प्रणाली को ऐसे प्रयास करने की आवश्यकता है जो प्रक्रियात्मक नषिकर्षता हेतु एक प्रणाली का निर्माण सुनिश्चित करे।
- एक तरफ मृत्युदंड में सुधार तो दूसरी तरफ इसे समाप्त करने की बात, ये दोनों ही रास्ते काफी दूर तक साथ जाते हैं। मृत्युदंड में सुधार की बात में संलग्न होने का प्रत्येक उदाहरण मृत्युदंड के उपयोग में अंतरनिहित अनुचितता पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से ऐसी प्रणाली में जिसका अनुसरण हम करते हैं।
- भारत में मृत्युदंड की वर्तमान स्थिति काफी संतुलित है लेकिन न्यायालय के व्यापक न्यायिक विवेक के परिणामस्वरूप समान प्रकृति के मामलों में असमान निर्णय की स्थितियाँ भी देखी गई हैं; इस प्रकार की स्थिति भारतीय न्यायपालिका की अच्छी छवि का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।
- बचन सहि या माछी सहि जैसे मामलों में निर्धारित किये गए सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये ताकि समान प्रकृति के अपराध के लिये दोषी व्यक्ति को समान श्रेणी की सज़ा दी जा सके।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस